225 24

GCMS-2024/53

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

कमलेश रानी बनाम निशा चुघ सरपंच ग्राम पंचायत चुनावढ

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 09/2024

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :–श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.04.2024	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। निगरानी ग्रांम पंचायत चूनावढ के आदेश दिनांक 05.03.2024 के विरूद्व पेश की है। प्रथमदृष्टया मामला निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण गैरनिगरानीकर्ता को सुने बिना स्थगन दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः एक पक्षीय स्थगन की इस्तदुआ अस्वीकार की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 06.5.2024 को पेश हो।	SSI 23/4/24
6/5/2024	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा द्वारा गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 की तरफ से वकालतनामा मय फार्म नं. 03 के साथ फहरिस्त दस्तावेजात पेश किये, जो शामिल किये गये। पीठासीन अधिकारी, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।	
22/5/2024	अधिवक्ता निगरानीकर्ता एंव निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 22.052.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी निगरानी श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। निगरानी में विचाराधीन प्लाट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में री याचिक दायर की हुई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है इसलिए अब इस निगरानी में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यह निगरानी इसी स्टेज पर दफ्तर दाखिल की जावें क्योंकि इसी प्लाट के सम्बन्ध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थीया/ निगरानीकर्ता इस निगरानी में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इसलिए निगरानी इसी स्टेज पर दफ्तर दाखिल की जावें। निगरानीकर्ता के जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने के कारण निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। आदेश सुनाया गया।	कमलेश रानी 22/5/24

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)